उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-64/2015/896/78-2-2015-60आई.टी./2015

लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2015

शुद्धि पत्र

मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना हेतु यूपीएलसी द्वारा चयनित कन्सल्टेन्ट संस्था एवं उसके कार्यों पर होने वाले व्यय पर अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के राज्य आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 45.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-576/78-2-2015-60आई.टी./2015 दिनांक 08.06.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रू0 45.00 लाख (रूपये पैतालीस लाख मात्र) की स्वीकृति जारी की गयी थी।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(1) एवं उप प्रस्तर-(7) में उल्लिखित व्यवस्था को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती हैः-

शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था	**संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था**
उप प्रस्तर (1) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा।	**उप प्रस्तर (1)** उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना हेतु व्यय किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर, आहरण तथा विवरण लेखा-जोखा अपने यहाँ भी रखेंगे।
उप प्रस्तर (7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष "2852-उद्योग (आयोजनागत)-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स-17-सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स द्वारा विभिन्न शासकीय सेवाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिए कम्प्यूटराइजेशन-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।	**उप प्रस्तर (7)** उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष "2852-उद्योग (आयोजनागत)-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स-17-सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स द्वारा विभिन्न शासकीय सेवाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिए कम्प्यूटराइजेशन-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी0 एस0 प्रियदर्शी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-64/2015/896(1)/78-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4- उद्योग निदेशक, निदेशालय कानपुर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/मुख्यमंत्री कार्यालय-3।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।